रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254805 CG-DL-E-19062024-254805

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] No. 310]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2024/ज्येष्ठ 28, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2024/JYAISHTHA 28, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 18 जून, 2024

सा.का.िन. 333(अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 3 के खंड (एफ); धारा 106 की धारा (2) के खंड (ए); धारा 22; धारा 106 और धारा 108 की धारा (2) के खंड (ओ); धारा 106 की धारा (2) के खंड (जेडजेडए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से प्रशासित करने और इसके प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात; अंतर्देशीय जलयान [केंद्रीय डेटाबेस और संबद्ध मामले] नियम 2024 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिसको आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाएंगी;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई हों, निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ajay.sirohi@nic.in और uttam.mishra27@gov.in पर; ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

3624 GI/2024 (1)

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (केंद्रीय डेटाबेस और संबद्ध मामले) नियम 2024 कहा जाएगा।
- (2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषा।-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
- (क) "अधिनियम" का अर्थ अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 24) होगा।
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित प्राधिकरण है।
- (ग) " नामित प्राधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के तहत राज्य द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकारी है।

"नोडल अधिकारी" - का अर्थ है अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित कार्यालय है।

- (घ) "नोडल अधिकारी" का अर्थ है नोडल कार्यालय का प्रशासन करने और नियम 5 के तहत कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी।
- (ड) "पोर्टल" का अर्थ है एक वेब या इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली जो नोडल अधिकारी और नियम 5 के उप-नियम (4) के तहत नियुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा स्थापित और अनुरक्षित की जाती है-
 - जहाजों के सर्वेक्षण और पंजीकरण, जहाजों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने और चालक दल को योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना;
 - मशीन को संरक्षित करना, बनाए रखना और उस तक पहुंच प्रदान करना,
 पठनीय, मुद्रण योग्य, साझा करने योग्य, सत्यापन योग्य और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड; के लिए मशीन को सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का रखरखाव राज्य में पंजीकृत जहाजों से संबंधित सभी विवरण; को रखने के लिए
 - iv चालक दल को जारी किए गए योग्यता प्रमाणपत्रों के डेटा और सभी वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रख-रखाव।
 - (2) "थर्ड पार्टी एक्सेस" का अर्थ इन नियमों के अनुसार जहाज के किसी मालिक या जहाज या चालक दल या प्रशिक्षण संस्थानों के मालिक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय डेटाबेस तक पहुंच है, लेकिन इसमें अधिनियम या नियमों के तहत प्रशासनिक या वैधानिक प्राधिकरण शामिल नहीं हैं। इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।
- 3. सेंट्रल डेटाबेस का स्वरूप. -

अधिनियम की धारा 3 के खंड (एफ) में निर्दिष्ट केंद्रीय डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित डेटा और विवरण शामिल होंगे-

- (1) जहाज का सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन, सर्वेक्षक द्वारा जारी किया जाने वाला घोषणापत्र, उपकरण और जहाज की जानकारी का रिकॉर्ड, सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाण पत्र, सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र, उन जहाजों के सर्वेक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण जिनका पहली बार सर्वेक्षण किया जाना है, अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 के प्रपत्र 1 से 9 में निहित सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में जलयान के नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन ;
- (2) अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार द्वारा रखी जाने वाली पंजीकरण की पुस्तक, जहाज के पंजीकरण के लिए आवेदन, जहाज के स्वामित्व की घोषणा, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अंतर्देशीय जहाज के निरीक्षण की तारीख और समय निश्चित करना, नक्काशी और अंकन नोट, संशोधन के पंजीकरण के लिए आवेदन (मार्टगेज), रजिस्ट्री के

हस्तांतरण के लिए आवेदन, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, बंधक बनाने वाला उपकरण, बंधक का हस्तांतरण करने वाला उपकरण, बंधक का निर्वहन करने वाला उपकरण, पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र, जैसा कि अंतर्देशीय जलयानों के फॉर्म 1 से 13 में निहित है (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022;

- (3) चालक दल को जारी किए गए योग्यता प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, सेवा का प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र, जैसा कि अंतर्देशीय जलयान (मैनिंग नियम), 2022 के फॉर्म 1 से 3 में निहित है। ;
- (4) प्रदूषण के निवारण और रोकथाम के लिए अनुपालन का प्रमाण पत्र, जैसा कि अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और रोकथाम) नियम, 2022 की तीसरी अनुसूची में निहित है, जैसा कि अंतर्देशीय जलयान (बीमा, दायित्व की सीमा और) में निहित बीमा के प्रमाण पत्र पर फॉर्म 2 में निहित है। सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं के दायित्व) नियम, 2022;
- (5) रिसेप्शन सुविधाओं का डेटा और विवरण;
- (6) ऐसे अन्य प्रपत्र जो विनिर्दिष्ट किये जायें।
- 4. निर्देश जारी करने की शक्तियाँ। -

सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारी के चयन और नियुक्ति के लिए योग्यता, मानदंड और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के संबंध में निर्देश जारी करेगा।

- नोडल अधिकारी के कर्तव्य:
- (1) नोडल अधिकारी केंद्रीय डेटाबेस की निगरानी, प्रशासन और रखरखाव करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वेब पोर्टल में दर्ज और उपलब्ध जानकारी सुरक्षित और कार्यात्मक है।
- (2) नोडल अधिकारी नियम 9 के तहत प्रत्येक राज्य के नामित प्राधिकारियों से डेटा और विवरण एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (3) नियम 9 के तहत नामित प्राधिकारियों से प्राप्त प्रदर्शन और डेटा की एक रिपोर्ट नोडल अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उस नियमित अंतराल पर प्रदान की जाएगी, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
- (4) उपर्युक्त उपनियम (1) में दिए गए कर्तव्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के अधीन, नोडल अधिकारी ऐसे अधिकारियों या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा हैंडलिंग और संरक्षण तथा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर विकास या ऐसे अन्य प्रयोजनों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों; और ऐसी नियुक्ति समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य दिशा-निर्देशों, नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
- (5) नोडल अधिकारी अपने अधीन नियुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि डेटाबेस का उचित उपयोग और उसमें निहित सूचना का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नोडल अधिकारी नामित प्राधिकरणों के अधिकारियों, अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और हितधारकों को डेटाबेस और सूचना के प्रबंधन पर प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- (6) नोडल अधिकारी और नियम 5 के उप-नियम (4) के तहत नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से केंद्रीय डेटाबेस का रखरखाव करेंगे:
 - i. डेटा की प्रामाणिकता, सुरक्षा, मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
 - ii. मापनीयता और प्रदर्शन अनुकूलन सुनिश्चित करना;
 - iii. बैकअप और रिकवरी के लिए पर्याप्त तंत्र बनाना;
 - iv. डेटा की एकरूपता सुनिश्चित करना;
 - v. दस्तावेज़ीकरण और मेटाडेटा बनाए रखना ;
 - vi. प्रदर्शन निगरानी और अनुकूलन सुनिश्चित करना;

- vii. जीडीपीआर, पीसीआइ डी एसएस, मेटी दिशानिर्देश जैसे प्रासंगिक डेटा संरक्षण विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना ;
- viii. परिवर्तन प्रबंधन और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना
- ix. और डेटाबेस के रखरखाव के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा, जैसा कि समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।
- 6. केंद्रीय डाटाबेस को बनाए रखने के लिए मानक और प्रक्रियाएं:
 - (1) नियम 5 के अधीन रहते हुए, नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के अंतर्गत डाटाबेस को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मानकों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन निम्नलिखित तरीके से किया जाए:
 - i. डेटाबेस के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण।
 - ii. डेटा की गुणवत्ता, प्रामाणिकता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या टीमों की पहचान ।
 - iii. डेटा निर्माण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और संग्रहण या विलोपन के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित करना।
 - iv. व्यवस्थापक , उपयोगकर्ता, अतिथि जैसी भूमिकाएं परिभाषित करना और प्रत्येक भूमिका के संबंध में अधिकार निर्दिष्ट करना।

सुरक्षित लॉगिन तंत्र का कार्यान्वयन और यह निर्धारित करना कि कौन किस डेटा तक पहुंच सकता है।

- vi. पता लगाने और जवाबदेही के लिए सभी डाटाबेस गतिविधियों की लॉर्गिंग सुनिश्चित करना।
- vii. डेटा की गंभीरता और अद्यतन के आधार पर लगातार बैकअप लेना।
- viii. अनुपालन सुनिश्चित करने और भंडारण उपयोग को अनुकूलित करने के लिए बैकअप डेटा के लिए अवधारण नीतियों को परिभाषित करना।
- ix. डेटा को अक्षुण्ण और सुरक्षित रखने के लिए एक समर्पित डेटाबेस बनाना,
- अधिनियम की धारा 3 के खंड (एफ) या धारा 41 या अधिनियम के तहत बनाए गए ऐसे अन्य नियमों में अनिवार्य विवरणों को रिकॉर्ड करना :
- xi. रिकॉर्ड की गई और रखी गई सूचना या डेटा का स्रोत उपलब्ध कराना जो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध है:
- xii. प्रशासन और/या तीसरे पक्ष के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल, प्रतिबंध, प्रक्रियाएं और पहुंच के नियम व शर्तें प्रदान करना:
- xiii. खातों का पंजीकरण, उपयोगकर्ता पहचान और उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के लिए पासवर्ड निर्दिष्ट करना;
- xiv. सूचना अपलोड करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करना ;
- xv. गोपनीयता नीतियां, देयताएं और कॉपीराइट प्रदान करना;
- xvi. डेटाबेस को समय-समय पर अद्यतन करना;
- xvii. खोजों का इतिहास बनाए रखना;
- xviii. आवश्यक अस्वीकरण प्रदान करना; और
- xix. ऐसे अन्य मामले जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर शामिल करने का निर्देश दिया जा सकता है।
- xx. डेटाबेस अनुकूलन, पैच प्रबंधन और सॉफ़्टवेयर अपडेट जैसे नियमित रखरखाव कार्यों को सूची बद्ध करना।
- xxi. डेटाबेस हितधारकों के बीच प्रभावी संचार के लिए सहभागिता प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
- xxii. डेटाबेस सुधार के लिए उपयोगकर्ताओं को फीडबैक और सुझाव देने के लिए चैनल स्थापित करना।
- xxiii. विकसित हो रही आवश्यताओं और प्रौद्योगिकियों को संबोधित करने के लिए डेटाबेस दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करना।
- xxiv. प्रतिक्रिया मांगकर और पिछले अनुभवों से सीखे गए सबक को शामिल करके निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दें।
- xxv. विरासत डेटा की स्कैनिंग और केंद्रीय डेटाबेस में अपलोर्डिंग।

(2) केंद्रीय डाटाबेस के उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग या खोज इन नियमों के तहत प्रदान किए गए मानकों और प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुरूप है।

7. पहुंच:

- (1) नोडल अधिकारी और नियम 5 के उप-नियम (4) के अधीन नोडल अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारियों और व्यक्तियों को डाटाबेस तक पूर्ण पहुंच होगी।
- (2) उपनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों और शर्तों के अनुपालन में, जेनेरिक डेटा तक सीमित थर्ड पार्टी को पहुंच प्रदान की जा सकती है।
- (3) जहाजों के मालिकों को केवल उनके स्वामित्व वाले जहाजों से संबंधित जानकारी तक ही पहुंच होगी।
- (4) चालक दल को केवल अपने प्रोफाइल तक ही सीमित पहुंच होगी।
- (5) इस नियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ थर्ड पार्टी की पहुंच के नियम और शर्तों को प्रदान करने के लिए ऐसे निर्देश या दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

8. गोपनीयताः

- (1) केंद्रीय डेटाबेस पर खोज से प्राप्त किसी भी जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत घोषित उद्देश्य के अलावा इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।
- (2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी, निर्देश द्वारा, ऐसे नियम और शर्तें प्रदान कर सकता है जिनके अधीन उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

9. निर्दिष्ट प्राधिकारी का कर्तव्य. -

- (1) प्रत्येक राज्य का नामित प्राधिकारी नियम 3 में निहित डेटा और विवरण नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तीस दिनों से अधिक के नियमित अंतराल पर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा ।
- (2) प्रत्येक राज्य का नामित प्राधिकारी नियम 3 में निहित डेटा और विवरण के वास्तविक समय में नए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।

[फा. सं. IWT-11011/114/2021-IWT]

राजेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2024

G.S.R. 333(E).—In exercise of powers conferred under the clause (f) of sections 3; clause (a) of section (2) of section 106; section 106; section 22; clause (o) of section (2) of section 106); clause (zza) of section (2) of section 106and section 108 of the Inland Vessels Act, 2021 (Act no 24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to effectively administer the provisions of the Act and to ensure effective implementation of its provisions namely; The draft of the Inland Vessels [Central Database and Allied Matters] Rules 2024, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at ajay.sirohi@nic.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

DRAFT RULES

1. Short Title and Commencement

- (1) These Rules shall be called the Inland Vessels (Central Database & Allied Matters) Rules 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in Official Gazette.

2. Definition.-

- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires
 - (a) "Act" shall mean the Inland Vessels Act 2021(Act no 24 of 2021).
 - (b) "Competent Authority" means authority constituted under section 6 of the Act.
 - (c) "Designated Authority" means the designated authorities appointed by the State under subsection (3) of Section 5 of the Act.
 - (c) "Nodal office" means office designated by the competent authority constituted under Section 6 of the Act.
 - (d) "Nodal officer" means any officer appointed by the Competent Authority to administer the nodal office and to perform duties under Rule5.
 - (e) "Portal" means a web or electronic based system set up and maintained by the Nodal officer and the officers or persons appointed under sub-rule (4) of rule 5 for
 - iii. facilitating the processes relating to survey and registration of vessels, issuance of certificates in respect of vessels and the issuance of certificates of competency to the crew;
 - iv. preserving, retaining and granting access to machine readable,
 printable, shareable, verifiable and secure electronic records;
 - v. maintaining a repository of electronic records containing all particulars pertaining to vessels registered in the state;
 - iv maintaining a repository of electronic records containing all details and data of the certificates of competency issued to the crew
 - (2) "Third party access" means access of Central Database in accordance with these Rules, by any owner of vessel or authorized representatives of the owner of vessel or crew or training institutes but does not include administrative or statutory authorities under the Act or the Rules. Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Form of Central Database. -

The Central Database referred to in clause (f) of section 3 of the Act shall contain the following data and details in electronic form-

- (1) application for conducting survey of vessel, declaration to be issued by the Surveyor, record of Equipment and vessel Information, application for provisional certificate of survey, provisional certificate of survey, certificate of survey, particulars to be furnished for survey of vessels which are to be surveyed for the first time, application for change of name of the vessel on certificate of survey, as contained in Form 1 to 9 of the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022;
- (2) book of registration to be maintained by the Registrar of Inland Vessels, application for registration of vessel, declaration of ownership of vessel, appointment of date and time of inspection of the inland vessel by the Registering Authority, carving and marking note, application for registration of alteration, application for transfer of registry, certificate of registration, instrument creating mortgage, instrument creating transfer of mortgage, instrument creating discharge of mortgage application for provisional certificate of registration, as contained in Form 1 to 13 of the Inland Vessels (Registration and Other Technical Issues) Rules, 2022;
- (3) certificates of competency issued to crew, medical certificate for appearing in examination for certificate of competency, certificate of service, application form for appearing in examination for certificate of competency, as contained in Form 1 to 3 of the Inland Vessels (Manning Rules), 2022;
- (4) certificate of compliance for prevention and containment of pollution, as contained in Third Schedule of Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, as contained in Form 2 on certificate of insurance as contained in Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022;
- (5) Data and details of reception facilities;
- (6) Such other forms as may be specified.

4. Powers to issue directions. -

The Competent Authority shall issue directions regarding the qualifications, criteria and such other terms and conditions for selection and appointment of nodal officer for the purposes of these Rules.

5. Duties of Nodal Officer:

- (1) The nodal officer shall monitor, administer and maintain the Central Database and shall ensure that the information recorded and available in the web portal is secured and functional.
- (2) The nodal officer shall be responsible for collecting the data and details from the Designated Authorities of each state under Rule 9.
- (3) A report of performance and data received from the Designated Authorities under Rule 9 shall be provided by the nodal officer to the Competent authority at such regular intervals, as may be directed by the Competent Authority
- (4) Subject to prior permission of Competent Authority for the purposes of performing the duties provided in sub-rule (1) above, nodal officer may appoint officers or persons, who are experts in the field of information technology, data handling and protection and software or hardware development or such other purposes; and such appointment shall be in accordance with the guidelines, terms and conditions as mandated by the Central Government from time to time
- (5) The nodal officer shall provide for training of officers or persons appointed under him, to ensure appropriate utilization of the database and the management of information contained therein. The nodal officer shall also provide training of officials of Designated Authorities, other sub-ordinate officers and stakeholders on database and management of information.
- (6) The nodal officer and the officers or persons appointed under sub-rule (4) of Rule 5shall maintain the central database in the following manner
- i. ensure the integrity, security, standards and quality of data;
- ii. ensure scalability and performance optimisation;
- iii. make sufficient mechanisms for backup and recovery;
- iv. ensure consistency of data;
- v. maintain documentation and metadata;
- vi. ensure performance monitoring and optimisation;
- vii. ensure compliance with relevant data protection regulations such as GDPR, PCI DSS, Meity Guidelines;
- viii ensure change management and regular maintenance
- ix and comply with standard operating procedures and guidelines for maintenance of the database, as may be issued by the Competent Authority from time to time.

6. Standards and procedures for maintaining the Central Database:

- (1) Subject to rule 5, the nodal officer shall ensure that the following standards and procedures are implemented for maintaining the database under these rules in the following manner:
 - i. clear designation of responsibility for managing the database.
 - ii. identification of individuals or teams responsible for data quality, integrity, and security.
 - iii. defining processes for data creation, storage, retrieval, and archiving or deletion.
 - iv. defining roles such as admin, user, guest and specify access rights for each role.
 - v. implementation of secure login mechanisms and determine who can access what data.
 - vi. ensure logging of all database activities for traceability and accountability.
 - vii. performing frequent backups based on data criticality and frequency of updates.
 - viii. defining retention policies for backup data to ensure compliance and optimize storage usage.
 - ix. forming a dedicated database to keep the data intact and secured,
 - x. recording the details mandated in clause (f) of section 3), section 41 of the Act or in such other Rules made under the Act:
 - xi. providing source of information or data that has been recorded and maintained is available for verification by authorities concerned;
 - xii. providing user manual, restrictions, procedures and terms and conditions of accessibility to administration and / or third-party access;
 - xiii. assigning registration of accounts, user identity and passwords for user interface;

- xiv. providing procedures for uploading of information;
- xv. providing privacy policies, liabilities and copy rights;
- xvi. updating the database periodically;
- xvii. maintaining history of searches;
- xviii. providing necessary disclaimers; and
- xix. such other matters as may be directed to be included by the Competent Authority from time to time.
- xx. scheduling routine maintenance tasks such as database optimization, patch management, and software updates.
- xxi. utilizing collaboration platforms for effective communication among database stakeholders.
- xxii. establishing channels for users to provide feedback and suggestions for database improvement.
- xxiii. conduct regular reviews of database guidelines, policies, and procedures to address evolving needs and technologies.
- xxiv. foster a culture of continuous improvement by soliciting feedback and incorporating lessons learned from past experiences.
- xxv. scanning of legacy data and uploading in Central database.
- (2) The users of the Central Database shall ensure that use or search is fully in conformity with the standards and procedures provided under these Rules.

7. Accessibility:

- (1) The nodal officer and the officers and persons appointed by the nodal officer under sub-rule (4) of rule 5, shall have complete access to the database.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) above, in compliance with terms and conditions issued by the Competent Authority, limited third party access to generic data may be provided.
- (3) Owners of vessels shall have access only to the information relating to the vessels owned by them.
- (4) Crew shall have limited access only to their profiles.
- (5) For the purpose of this Rule, Competent Authority with the prior approval of Central Government may issue such directions or guidelines to provide for the terms and conditions of third-party access.

8. Confidentiality:

- (1) Any information obtained from the search on the Central Database shall be treated as confidential and shall not be disclosed except for a purpose declared as permitted by the Competent Authority.
- (2) For the purpose of this rule, Competent Authority may, by direction, provide for such terms and conditions subject to which information could be disclosed by the user.

9. Duty of the Designated Authority. –

- (1) The Designated Authority of each state shall be responsible for providing the data and details contained in Rule 3 to the Nodal Officer in electronic form at regular intervals of not more than thirty days.
- (2) The Designated Authority of each state shall be responsible for creating new electronic records in real time of the data and details contained in Rule 3.

[F. No. IWT-11011/114/2021-IWT] RAJESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.